


18-01-18

वकील उम्मेद ~~बन्~~-वारं आवाज लगवाने के
उपान्त भी उपस्थित नहीं है। नदी अहालतन
या बकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण दावा
अदम हाजरी व अदम चैरवी में खारिज किया जाता
है।

पत्रावली कैलकुलेशन नंबर से कम हो
सर्वे बार तकमील जमा जिला इमिलेखागार हो।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी